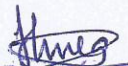


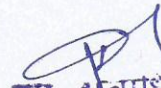
प्रारूप- 5

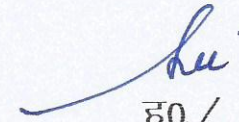
परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 5.00 कि०मी० + 100.00 मी० स्पान सेतु)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट कर दिया गया है।


वन क्षेत्र अधिकारी
पौखाल राजि
टिहरी नव प्रभाग


वन क्षेत्र अधिकारी
भिलंगना रेंज, धनसाला
वन प्रभाग


ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी
परिणामी अभियान
परिणामी अभियान विभाग
धनसाला (टि०ग०)

प्रेषक:

अमित सिंह नेगी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 2 नवम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 16 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 16 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 61.45 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 738.99 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 634.22 लाख (₹ छः करोड़ चौतीस लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलन सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 16 कार्य हेतु ₹ 1.60 लाख (₹ एक लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों का समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोव्न्समेंन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -06-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

Photo Copy Attested

227
29/11/2013

M. J.

सहायक अभियन्ता

लोक निर्माण

सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

देहरादून, दिनांक 2

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मं. में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -300-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 558/XXVII(2)/2013 दि०: 21 नवम्बर, 2013 में प्राप्त तनका सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि;

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/13-32(प्र०आ०)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
स्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग

1. दि० 10/11/13
सहायक अभियन्ता
स्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग
वागमती, दि० 10/11/13

आज्ञा सं.

(महिमा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या- 667 / 111(2)/13-32(जा0आ0)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चाहू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-234/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत राम पंचायत द्वारा के राजकीय उत्तरीय माध्यमिक विद्यालय से कुण्ड चण्ड तक मार्ग का निर्माण कार्य।	5.50	63.75 (₹ 32.07 + ₹ 31.68 उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सोडा द्वारा से जमेली चौक तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.00	69.54 (₹ 34.98 + ₹ 34.56 उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 396/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में डाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर अतः गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गार्डर सेतु एवं ग्रेटोच मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00 + 100mt	39.25	0.10
4	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 397/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में धनवाली-मुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व धनवाली-कोटी-अप्रीडी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (0-3) को जोड़ने हेतु अर्द्धी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00 + 76.00 mt	44.59 (₹ 25.15 + ₹ 19.44 उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 398/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में लम्बगांव-कोटालगांव-बमियाला मोटर मार्ग के कि०मी०-3(0-2) गढ़ नामे शोक से सुनारगांव-मदकोट-राजगांव मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण।	5.00 + 24mt	51.63 (₹ 30.53 + ₹ 21.10 उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 400/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बुढाकेदार-तांभी मोटर मार्ग का विनयखाल तक सेतु का निर्माण।	2.00	22.79 (₹ 11.70 + ₹ 11.09 उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 403/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में जगदीशिला (हिन्दाव) मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	43.33 (₹ 25.40 + ₹ 17.93 उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

सहायक अभियन्ता

राज्य लोक निर्माण विभाग

देहरादून